भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1462
29 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

अमृतसर में निर्यात सुविधा केंद्र की स्थापना

1462. श्री गुरजीत सिंह औजलाः
क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमृतसर सीमावर्ती क्षेत्र की उपजाऊ भूमि और रणनीतिक स्थिति के कारण, वहां से पड़ोसी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में फलों और सब्जियों के बड़े पैमाने पर निर्यात की अपार संभावनाएं हैं;
(ख) क्या सरकार अमृतसर जिले में अत्याधुनिक अनुसंधान, सिंचाई प्रणालियों, शीत श्रृंखला संभारतंत्र और मूल्य संवर्धन इकाइयों से सुसज्जित एक उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी और निर्यात सुविधा केंद्र स्थापित कर रही है;
(ग) अमृतसर के सीमावर्ती क्षेत्र में उच्च उपज वाली, जलवायु-अनुकूल फसलों के किस्मों, सटीक कृषि तकनीकों और आधुनिक कटाई-पश्चात प्रबंधन पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और
(घ) निर्यातोन्मुखी खेती को सहायता देने और किसानों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक सीधी पहुंच बनाने, जिससे ग्रामीण आय और राष्ट्रीय कृषि-निर्यात को बढ़ावा मिले, इस क्षेत्र में कृषि बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): वाणिज्य विभाग की निर्यात केंद्र के रूप में जिले (डीईएच) पहल, राज्य सरकारों, जिला स्तरीय प्राधिकरणों, निर्यात संवर्धन परिषदों, उद्योग निकायों और संस्थागत हितधारकों आदि के समन्वय से संचालित की जाती है, और यह पहल हितधारकों के परामर्श के माध्यम से चिह्नित उत्पादों की निर्यात क्षमता बढ़ाने से संबंधित मुद्दों पर केंद्रित है। डीईएच पहल के तहत, अमृतसर जिले के लिए कृषि उत्पाद, चावल और पुष्प उत्पादन प्रमुख चिह्नित उत्पादों में शामिल हैं।

(ग): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, पंजाब और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों सहित देश में कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए योजनावार बजट आवंटन **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(घ): आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत वर्ष 2020 में कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) योजना प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य देश में कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार हेतु प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसलोपरांत प्रबंधन इन्फ्रास्ट्रक्चर और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों हेतु व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश हेतु मध्यम या दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा जुटाना है। एआईएफ उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा देता है, जिसमें कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स के लिए अत्याधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर और छंटाई, ग्रेडिंग, प्राथमिक प्रोसेसिंग और पैकेजिंग सुविधाओं जैसी मूल्यवर्धन यूनिटें शामिल हैं। ब्याज अनुदान और ऋण गारंटी जैसे वित्तीय सहायता तंत्रों के माध्यम से, यह योजना संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में आधुनिक कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश को प्रोत्साहित करती है।

अमृतसर जिले में, एआईएफ के तहत समर्थित परियोजनाओं में आधुनिक फसलोपरांत प्रबंधन पद्धतियों को शामिल करने वाली कोल्ड स्टोरेज यूनिटें, वेयरहाउस, पैकेजिंग यूनिटें और प्रोसेसिंग यूनिटों की स्थापना करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, प्रीसिशन फार्मिंग तकनीकों में निवेश भी एआईएफ के अंतर्गत पात्र हैं। ये सुविधाएं किसानों को फसलोंपरांत होने वाले नुकसान को कम करने, शेल्फ लाइफ बढ़ाने और बेहतर बाजार मूल्य प्राप्त करने में मदद करती हैं। जिले में कुशल और सतत कृषि पद्धतियों का समर्थन करने के लिए कृषि-तकनीक-सक्षम यूनिटें स्थापित करने में भी रुचि देखी गई है।

इसके अलावा, वाणिज्य विभाग, एपीईडीए (कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) के माध्यम से, पंजाब सहित देश भर में अपने सदस्य निर्यातकों, जिनमें एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन) और एफपीसी (किसान उत्पादक कंपनी) शामिल हैं, को 15वें वित्त आयोग चक्र (वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक) के लिए एपीईडीए की कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात प्रोत्साहन योजना के तहत सूचीबद्ध कृषि उत्पादों के निर्यात संवर्धन के लिए निम्नलिखित तीन व्यापक क्षेत्रों में वित्तीय सहायता प्रदान करता है:

क. अवसंरचना विकास योजना - इस योजना में पैकिंग/ग्रेडिंग लाइनों के साथ पैकहाउस सुविधाओं की स्थापना, कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजरेटेड परिवहन आदि के साथ प्री-कूलिंग यूनिट, केले जैसी फसलों के संचालन के लिए केबल सिस्टम, विकिरण, वाष्प ताप उपचार, गर्म जल डिप उपचार जैसी शिपमेंट-पूर्व उपचार सुविधाएं और सामान्य कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं, रीफर वैन और निजी निर्यातकों के मौजूदा इन्फ्रास्ट्रक्चर में कमियों को दूर करने के लिए वित्तीय सहायता शामिल है। एपीईडीए

के वित्तीय सहयोग से अमृतसर हवाई अड्डे पर पेरिशबल कृषि-निर्यात कार्गो के संचालन हेतु पेरिशेबल कार्गो केंद्र (सीपीसी) सुविधा की स्थापना की गई है।

ख. गुणवत्ता विकास योजना - प्रयोगशाला परीक्षण उपकरणों की खरीद, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों की स्थापना, जल, सॉइल, अवशेषों और कीटनाशकों आदि के पता लगाने और परीक्षण हेतु खेत स्तर के निर्देशांक प्राप्त करने हेतु हैंडहेल्ड उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता।

ग. बाज़ार संवर्धन योजना- इस सहायता में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में निर्यातकों की भागीदारी, क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों का आयोजन, नए उत्पादों के लिए पैकेजिंग मानक विकसित करना और मौजूदा पैकेजिंग मानकों का उन्नयन शामिल है। अमृतसर सहित पंजाब के निर्यातकों को घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों, रोड शो और अन्य निर्यात प्रोत्साहन अभियानों में प्रोत्साहित किया गया और उन्हें भागीदारी के लिए सक्षम बनाया गया है। वित्तीय सहायता संबंधी दिशानिर्देशों का पूरा ब्यौरा एपीईडीए की वेबसाइट www.apeda.gov.in पर "स्कीम" टैब के अंतर्गत उपलब्ध है।

एपीईडीए की बाज़ार विकास पहलों के तहत, एपीईडीए ने जून 2025 में हवाई मार्ग से पठानकोट से अमृतसर होते हुए दोहा और दुबई तक गुलाब की खुशबू वाली ताज़ा लीची परीक्षण शिपमेंट में सहायता की। इसी प्रकार, पंजाब के किसानों से प्राप्त ताज़ा लीची के लंदन और किन्नू के रूस/सिंगापुर निर्यात के लिए भी परीक्षण खेपों की सुविधा पहले दी जा चुकी है।

कृषि निर्यात के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने और किसानों, कृषि स्टार्टअप, महिला उद्यमियों को अपने उत्पादों की बेहतर कीमत प्राप्त करने के लिए निर्यात में कदम रखने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अमृतसर सहित कई जिलों में बागवानी और कृषि विभाग के सहयोग से पंजाब में निर्यातोन्मुखी क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।

अनुबंध-I

दिनांक 29.07.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1462 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	योजनाओं का नाम/ब्यौरा	बीई-2025-26
क	**केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं**	
1	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	12242.27
2	संशोधित ब्याज अनुदान	22600.00
3	प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)	6941.36
4	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)	63500.00
5	प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना	120.00
6	किसान उत्पादक संगठन का गठन और संवर्धन	584.00
7	कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड	900.00
8	नमो ड्रोन दीदी	676.85
9	कृषि उपज मूल्य श्रृंखला के लिए प्रासंगिक कृषि और ग्रामीण उद्यम के लिए स्टार्टअप के वित्तपोषण हेतु मिश्रित पूंजी सहायता	71.50
10	राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)	75.00
11	कपास प्रौद्योगिकी मिशन	500.00
12	दलहन मिशन	1000.00
13	सब्जियां और फल मिशन	500.00
14	हाईब्रिड बीजों पर राष्ट्रीय मिशन	100.00
15	मखाना बोर्ड के लिए समर्थन	100.00
	कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर निधि और विकास के लिए अतिरिक्त अंतरण	-1000.00
	कुल- केंद्रीय सेक्टर योजनाएं/परियोजनाएं	**108910.98**
ख	**केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं**	
1	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)	8500.00
2	राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन	616.01
3	कृषोन्नति योजना	8000.00
	कुल-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	**17116.01**
	कुल-केंद्रीय सेक्टर योजनाएं+ केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	**126026.99**
ग	**केंद्र की स्थापना और अन्य केंद्रीय व्यय**	**1263.17**
	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का कुल अनुमानित बजट	**127290.16**

*****